न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—134/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/134)

1. बालू पुत्र नारायण दरोगा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 भंवरलाल पुत्र बालूराम
   1/2 बुद्विप्रकाश पुत्र बालूराम
   समस्त निवासी प्रान्हेडा, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. कालूराम पुत्र बालू माली
2. भूरा पुत्र बालू दरोगा
3. बुधा पुत्र बालू दरोगा
4. गोपाल पुत्र बालू माली
5. पार्वती पुत्री बालूराम
   समस्त निवासी प्रान्हेडा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.04.2015 राजस्व वाद संख्या 95/2011

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनीष खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 08.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 95/2011 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 07.04.2015 को पारित किए गए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 95/2011 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया उपरोक्त प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 852 मिन व 846/1 मिन का आवंटन अपीलांट के पिता बालू पुत्र नारायण को दिनांक 12.11.1975 को किया गया है, आराजीयात खसरा संख्या 852 मिन से नवीन खसरा संख्या 5212 व 5213 रकबा क्रमशः 0.42 हैक्टर व 0.57 हैक्टर निर्मित किए गए है। इसी प्रकार खसरा संख्या 846/1 मिन के नवीन नम्बर 5258 व 5259 रकबा क्रमशः 0.01 व 1.12 हैक्टर निर्मित किए गए है। जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है, उपरोक्त आराजीयात राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2022 मे खसरा संख्या 846 व 852 राजकीय सिवायचक आराजीयात दर्ज है, जिसकी जमाबंदी प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है व भूमि एकीकरण मानचित्र सम्वत 2022 प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं। पूर्व में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। उक्त सभी दस्तावेजात प्रकरण के निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेजात है। जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट द्वारा निम्नांकित दस्तावेंज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे है :—

1. मिलान क्षेत्रफल
2. जमाबंदी सम्वत 2022
3. मानचित्र भूमिएकीकरण सम्वत 2022

उपरोक्त दस्तावेजात वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है, जो कि अधिवक्ता की त्रुटिवश विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके है। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे है, उक्त दस्तावेज राजस्व अभिलेख से संबंधित है, जिनकी सत्यता संदेह से परे है एवं उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है। उपरोक्त दस्तावेज जो कि प्रकरण के निर्णय हेतु सहायक है। अपील प्रस्तुती के पश्चात् अधिवक्ता द्वारा दी गई विधिक जानकारी अनुसार उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे है। उपरोक्त दस्तावेजात को रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151

सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध आक्षेपित निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट जिसका वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का सरोकार नहीं है एवं राजस्व वाद में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजीयात में निहित खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उन्हें निर्णय दिनांक 7.4.2015 से पूर्व में अवगत नहीं कराया गया है, प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट के पिता बालू के देहांत उपरांत अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामान हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार कर अपीलांट को बहैसियत कायम मुकाम अभिलेख पर लिया गया है। हाल ही में दिनांक 10.4.2023 को मौके पर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा झगडा किए जाने व बेदखल किए जाने की धमकी दिए जाने पर एवं स्वयं के पक्ष में निर्णय दिनांक 7.4.2015 होना बताया जाकर स्वयं का कब्जा होना अंकन किया। जिस पर अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर विचाराधीन वाद में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2015 के बाबत जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा अपीलांट को उक्त निर्णय बाबत अवगत कराया तथा अपीलीय न्यायालय में चाराजोही करने हेतु विधिक सलाह दी गई। अतः न्यायालय के समक्ष जरिए अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त अपीलांट्स के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थी कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित कारणानुसार समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक व अधिकारों के विरूद्ध आक्षेपित निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया हो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट जिसका वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का सरोकार नहीं हो एवं राजस्व वाद में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजीयात में निहित खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा हो। यह अस्वीकार है कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उन्हें निर्णय दिनांक 7.4.2015 से पूर्व में

अवगत नहीं कराया गया हो, प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट के पिता बालू के देहांत उपरांत अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत कायम मुकामान हेतु प्रस्तुत किया गया हो जिसे स्वीकार कर अपीलांट को बहैसियत कायम मुकाम अभिलेख पर लिया गया हो। वस्तुस्थिति यह है कि अपीलांट द्वारा केवल मात्र अधिवक्ता पर आक्षेप लगाया जाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर विलंब को माफ कराऐ जाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने से लेकर अपील प्रस्तुती के विलंब बाबत भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह अस्वीकार है कि दिनांक 10.4.2023 को मौके पर वादी द्वारा झगडा किए जाने व बेदखल किए जाने की धमकी दिए जाने पर एवं स्वयं के पक्ष में निर्णय दिनांक 7.4.2015 होना बताया जाकर स्वयं का कब्जा होना अंकन किया गया हो। यह अस्वीकार है कि अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर विचाराधीन वाद में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2025 बाबत जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा अपीलांट को उक्त निर्णय बाबत अवगत कराया गया हो तथा अपीलीय न्यायालय में चाराजोही करने हेतु विधिक सलाह दी गई हो। वस्तुस्थिति यह है कि पक्षकार को अपने प्रकरण के संबंध में पर्याप्त जागरूक होना चाहिए तथा प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना पक्षकार का दायित्व है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारान के अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया था। पक्षकार स्वयं अपनी निष्क्रियता का बोझ अधिवक्ता पर नहीं डाल सकता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए अपीलांट स्वयं जिम्मेदार है इसलिए उक्त विलंब क्षमा किए जाने योग्य नहीं होने से उक्त अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत अपील में विलंब माफ किए जाने हेतु कानून की जानकारी से अनभिज्ञ होने का आधार नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पक्षकार की निष्क्रियता पर उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है इसलिए उक्त अपील अत्यधिक मियाद बाहर होने से अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04. 2015 के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील दिनांक 18.04.2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 में कथन किया कि अधिवक्ता द्वारा उन्हें निर्णय दिनांक 7.4.2015 से पूर्व में अवगत नहीं कराया गया है, प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट के पिता बालू के देहांत उपरांत अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामान हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार कर अपीलांट को बहैसियत कायम मुकाम अभिलेख पर लिया गया है। हाल ही में दिनांक 10.4.2023 को मौके पर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा झगडा किए जाने व बेदखल किए जाने की धमकी दिए जाने पर एवं स्वयं के पक्ष में निर्णय दिनांक 7.4.2015 होना बताया जाकर स्वयं का कब्जा होना अंकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रकरण दिनांक 13.10.2011 को दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई तथा प्रकरण में अंतिम बहस के दौरान भी दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पिता की मृत्यु उपरांत उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 दिनांक 28.07.2016 को प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही कर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर अपीलांट को रिकार्ड पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि आवेदन पत्र का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलांट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 09.07.2020 को किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को प्रतिलिपि दिनांक 13.07.2020 को प्राप्त हुई। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रतिलिपि दिनांक 13.07.2020 को प्राप्त होने के पश्चात भी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 18.04.2023 को प्रस्तुत की गई अर्थात तीन वर्ष की अवधि पश्चात इन समस्थ तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को तत्समय उक्त निर्णय की जानकारी बखूबी रूप से थी परंतु अपीलांट द्वारा यह कहना की उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई यह कथन संतोषजनक नहीं हैं चूंकि अपीलांट को प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम की कार्यवाही कर बतौर पक्षकार संयोजित किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि उनके द्वारा 8 वर्ष की अवधि पश्चात किस आधार पर भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। क्यों कि यह अपीलांट/प्रार्थी का भी कर्तव्य बनता है कि अपने प्रकरण के संबंध में पर्याप्त जागरूक होना चाहिए तथा प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना पक्षकार का दायित्व है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया था। पक्षकार द्वारा की गई लापरवाही/अनभिज्ञता का जिम्मेदार अधिवक्ता को नहीं माना जा सकता अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए अपीलांट स्वयं जिम्मेदार है। चूंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब के एक एक दिन का विवरण व कारण न्यायालय को अपील के माध्यम से बताना अनिवार्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बिना किसी स्पष्ट कारणों के अभाव के प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय है कि पक्षकार न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपना उपचार मांगे इसका दुरूपयोग नहीं करे। परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिसीमा नियमों का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट–1 रेवे0पेज 695 में कहा गया है कि किसी परिसीमा अवधि की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं की इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। विधि की अवधारणा तर्क संगत अवधि होनी चाहिए प्रार्थी द्वारा लंबे अंतराल के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है।** प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है व प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी इतनी लंबी अवधि पश्चात भी नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय हाजा पूर्ण

रूप से सहमत हो सके। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किए गए है व केवल मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय बाबत उनकी ओर से मनगढत व जानबूझकर अंकित किए गए कारण प्रतीत होते है। जिनसे न्यायायल हाजा किसी प्रकार से उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2007(2) आरआरटी 788
(हाई कोर्ट)

परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5–सिविल प्रक्रिया, 1908 *–धारा 100 विलंब का उपशमन अपील पेश करने में विलंब जानकारी की दिनांक से अपील पेश की–अपील तुरंत पेश न करने हेतु स्पष्टीकरण नहीं–निर्णित, अपील कालबाधित है एवं खारिज की।*

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 95/2011 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर